# UTTAR PRADESH LAWS (EXTENSION OF APPLICATION) ACT,1951

(U. P. Act No. 14 of 1951)

### **ARRANGEMENT OF SECTIONS**

**Sections:** 

- 1- Short title and commencement
- 2- **Definition**
- 3- Extension of Law
- 4- Repeal of Corresponding laws
- 5- Savings.

## 1951ई0 का उत्तर प्रदेश विधियों की प्रवृत्ति के प्रसार का अधिनियम

### (30 प्र0 अधिनियम सं0 14, 1951 ई0)

[उत्तर प्रदेशीय विधान सभा ने दिनांक 23 फरवरी सन् 1951 ई0 तथा उत्तर प्रदेशीय विधान परिषद ने दिनांक 28 फरवरी सन् 1951 की बैठक में स्वीकृत किया।

भारत संविधान के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपित ने दिनांक 31 मार्च सन् 1951 ई0 को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी गजट में दिनांक 14 अप्रैल सन् 1951 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

देहरादून जिले के जौनसार बावर परगना और मिर्जापुर जिले के उस भाग में जो कैमुर पर्वत-श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, कुछ विधियों का प्रसार करने के लिये,

### अधिनियम

क्योंकि दहरादून के जौनसार बावर परगने और मिर्जापुर जिले के उस भाग में जो कैम्र पर्वत-श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, संविधान के प्रारम्भ से पहले, अंशत: पृथक किये गये क्षेत्र (Partially Excluded Areas) के रूप में प्रशासन होता था।

और क्योंकि संविधान के अनुसार उक्त क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled areas) नहीं है,

और क्योंकि यह आवश्यक है कि उक्त क्षेत्रों में ऐसी कुछ विधियों को प्रचलित किया जाय जो उत्तर प्रदेश में प्रचलित हैं, किन्तु उक्त क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं होती; इसलिए निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ- 1- (1) इस अधिनियम का नाम "सन् 1951 का उत्तर प्रदेश विधियों की प्रवृत्ति के प्रसार (Extension of Application) का अधिनियम" होगा।

(2) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

### परिभाषायं - 2- इस अधिनियम में विषय या प्रकरण के विपरीत न होने पर :-

- (क) "निश्चित दिनांक" (appointed date) का तात्पर्य उस दिनांक से है, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पहले का हो।
- (ख) "विधि" का तात्पर्य धारा 4 और 5 में, ऐसी आज्ञा, नियम या उपविधि (by- law) से है जो ऐसे विधायन (enactment) के अधीन दी या बनाये गये हों जो निश्चित दिनांक पर अंशत: पृथक किये गये क्षेत्रों में प्रचलित नहीं था।
- (ग) ''अंशत: पृथक् किये गये क्षेत्र'' का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जो देहरादून जिले के जौनसार बावर परगना के और मिर्जापुर जिले के उस भाग के रूप में प्रसिद्ध है, जो कैम्र पर्वत- श्रेणी के दक्षिण में है और इसके अन्तर्गत प्रसंग के अनुसार उक्त क्षेत्र में से कोई या उनका भाग भी है।
- (घ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

विधियों का प्रसार -3--(1) किसी विधि में किसी विपरीत बात के रहते हुये भी, ऐसे सव विधायन जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर उत्तर प्रदेश में प्रचलित या प्रवृत्ति (in force in or applicable to) हों और जिनका सम्बन्ध ऐसे विषयों से हो जिनके बारे में राज्य विधान मण्डल, उत्तर प्रदेश के लिये विधियों का निर्माण कर सके और जो अंशत: पृथक किये गये क्षेत्रों में अभी प्रचलित या प्रवृत्त न हो, उक्त क्षेत्रों में निम्नलिखित के अधीन एततदवारा प्रसारित (extend) किये जाते हैं—

- (क) कोई ऐसा संशोधन जिसके अधीन सामान्य रूप से उपर्युक्त दिनांक पर उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में प्रचलित के सम्बन्ध में, उपर्युक्त विधायन रहे हों, और
- (ख) इस अधिनियम के निदेश जो आगे दिये ह्ये हैं।
- (2)-- उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी विधायन में किसी बात के रहे हुये भी, ऐसे विधायन ऐसे दिनांक से प्रचलित हो जायंगे जो राज्य सरकार सरकारी गजट में

विज्ञिप्त द्वारा इस सम्बन्ध में निश्चित करे और उक्त विधायनों के विभिन्न निदेश के लिये और विभिन्न क्षेत्रों के लिये, विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

### <u>समान विधियों</u> का निवर्तन

4- यदि निश्चित दिनांक पर अंशतः पृथक किये गये क्षेत्रों में कोई ऐसी विधि प्रचलित है, जो धारा 3 की उपधारा (2) में उल्लिखित विधायन (enactment) के समान (corresponding to) है तो ऐसी समान विधि उस दिनांक से और उस अंश तक जहां तक धारा 3 के निदेशों के अधीन और अनुसार कोई विधायन प्रचलित होता हो, यथाकम अंशतः पृथक किये गये क्षेत्रों में निवर्तित (repealed) हो जायेगी।

#### <u>अपवाद</u>

- 5— (1) धारा 4 के अधीन किसी समान विधि के निवर्तन का निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं होगा--
  - (क) किसी ऐसी विधि का पूर्व व्यापार previous operation|, या
- (ख) कोई ऐसी शास्ति, अपवर्तन या दण्ड (penalty forfeiture or punishment) जो किसी ऐसी विधि के विरूद्ध किये गये अपराध के विषय में अपगत किया गया या किये गये हों (incurred), या
- (ग) उक्त शास्ति, अपवर्तन या दंड के सम्बन्ध में कोई जांच, विधिक व्यवहार या उपचार investigation, legal proceeding or remedy); और उक्त जांच विधिक व्यवहार या उपचार उसी प्रकार निवेशत या अनुकान्त की जा किया जा सकता है, अथवा व्यापार में लाया जा सकता है instituted, continued or enforced) और कोई भी ऐसी शास्ति, अपवर्तन या दण्ड उसी प्रकार लगाया जा सकता है मानो या अधिनियम पारित ही नहीं किया गया हो।
- (2) किसी ऐसी बात या कार्य के विषय में जो उक्त समान विधि के अधीन किया गया हो, और जिसके अन्तर्गत की गयी नियुक्ति या किये गये समर्पण delegation), प्रकाशित विज्ञप्ति, दी गयई आज्ञा या दिये गये आदेश, बनायी गई योजना, स्वीकृत प्रमाण-पत्र एकस्वपत्र (patent) या अनुज्ञापत्र, किये गये निबन्धन (registration) है, उस अंश तक जहां तक वे धारा 3 में लिखित उन विधायनों के विपरीत न हो जो अब

अंशतः पृथक किये गये क्षेत्रों में प्रसारित या प्रचलित किये जाते हों, उपधारा (1) के निदेशों को बाधित न करते हुए,

- (क) यह समझा जायगा कि वह उक्त विधायन के समान निदेश के अधीन की गयी या किया गया था, और
- (ख) वे तब तक प्रचलित रहेंगे जब तक कि उनके सम्बन्ध में कोई भिन्न आदेश न दिया जाय या जब तक कि वे किसी ऐसी बात या कार्य से अतिकान्त (superseded) न कर दिये जायं, जो उक्त विधायन के अधीन राज्य सरकार या किसी समर्थ प्राधिकारी (authority) द्वारा किया गया हो।

### UTTAR PRADESH LAWS (EXTENSION OF APPLICATION) ACT, 1951

(U.P. ACT . NO. XIV of 1951)

Authoritative English text of the Of the Uttar Pradesh Vidhiyon ki pravritte ki Prasar (Extension of Application) ka Adhiniam, 1951.

#### AN ACT

To extend certain laws to the Jan Jaunsar-Bawar Pargana of the Dehri Dun District and the portion of the Mirzapur District south of the Kaimur Range.

WHEREAS the Jaunsar-Bawar Pargana of the Dehra Dun District and the portion of the Mirzapur District south of the Kaimur Range were administered as partially excluded areas prior to the commencement of the Constitution;

AND WHEREAS these areas are not scheduled areas under the Constitution;

AND WHEREAS it is expedient to provide that certain laws which are in force in Uttar Pradesh but do not apply to these areas should be enforced in such areas,

It is hereby enacted as follows:

# Short title and commencement

- 1- (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Laws (Extension of Application) Act, 1951,
  - (2) It shall come into force at once.

#### Definition

- 2.- In this Act unless there is anything repugnant in the subject or context-
- (a) "Appointed date" means the date immediately before the commencement of this Act;
- (b) "Law", in sections 4 and 5, means any Order, rule, or by law passed or made under any enactment not in force in the partially excluded areas on the appointed date;
- (c) "Partially excluded areas" means areas known as the Jaunsar-Bawar Pargana of the Dehra Dun District and the portion of the Mirzapur District south of the Kaimur Range, and includes, where the context so requires, any one of these areas or portion thereof; and

(d) "State Government" means the Government of Uttar Pradesh.

# Extension of Laws

- 3- . (1) Notwithstanding anything contraire in nay law, all enactments in force in, or applicable to, Uttar Pradesh on the date of the commencement of this Act, as relate to matters with respect to which the State Legislature has power to make laws for Uttar Pradesh and as are not already applicable to or in force in the partially excluded areas are hereby extended to such areas subject to-
  - (i) any amendment to which they were generally subject to in, or in their applicable to, Uttar Pradesh on the date aforesaid, and
  - (ii) the subsequent provisions of this Act.
  - (2) Notwithstanding anything in any enactment referred to in sub-section (1), such enactments shall come into force with effect from such date as the State Government may be notification in the official Gazettee appoint in that behalf and different dates may be appointed for different provisions thereof and for different areas. .

#### Repeal of

#### Corresponding laws

**4.-** If on the appointed date there is in force in the partially excluded areas any law corresponding to the enactment referred to in sub-section (1) of section such corresponding law shall, with effect from the date and to the extent to which an enactment comes into force under and in accordance with the provisions of section 3, stand repealed in the respective partially excluded area.

#### Savings.

- 5-. (1) The repeal of any corresponding law under section -4 shall not affect-
  - (a) the previous operation of any such law, or
  - (b) Any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any such law, or
  - (c) Any investigation legal, proceeding or remedy in respect of any such penalty, forfeiture or punishment,

And any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if this Act had not been passed.

(2)- Subject to the provisions of sub-section (1) anything done or any action taken including any appointment or delegation made, notification, order, instruction or direction issued, scheme framed, certificate, patent, permit or licence granted or

registration effected, under such corresponding law shall, in so far as it is not inconsistent with the enactments referred to. In section 3 as now extended to and in force in the partially excluded area-

- (a) be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of the said enactment, and
- (b) continue in force unless and until directed otherwise or superseded by any thing done or any action taken under the said enactment by the State Government or other competent authority.